एमनेस्टी इंटरनेशनल सउदी अरब सरकार को आह्वान करता है कि वह फांसियों पर रोक लगाये और देश की वैधिक न्यायिक परिपाटियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों की तर्ज पर लाये।

मुकदमा चल रहा है इसलिए एक ऐसी अदालत द्वारा फिर से मुकदमा चलाने को कहा जा सकता है जो कि उसे मौत की सजा सुना सकती हो। इस बात का खतरा बना हुआ है कि सुल्तान कोहैल को मौत की सजा सुना दी जाए।

परिवर्तन समय की मांग

सउदी अरब थोक के भाव मौत की सजा देना जारी रखे हुए है। यह देश की कठोर दंड नीति का परिणाम है, यह अधिकतर गोपनीय और संक्षिप्त फौजदारी न्याय व्यवस्था है, वह समाज के अरक्षित हाशिया पर जीवन यापन करने वाले सदस्यों के खिलाफ मौत की सजा का भेदभावपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करता है, और वह किशोर अपराधियों के खिलाफ दंड के सर्वाधिक अतिवादी रूप का प्रयोग जारी रखे हुए है। ये समस्त परिपाटियां मौत की सजा पर अंतरराष्ट्रीय मानकों और प्रवृत्तियों की अवमानना करती हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल सउदी अरब सरकार से अपनी इस मांग को दुहराता है कि वह फांसियों पर रोक की घोषणा करे और देश की वैधिक और न्यायिक परिपाटियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए फौरन कदम उठाये।

Amnesty International,
International Secretariat, Peter Benenson House
1 Easton Street, London WC1X 0DW
United Kingdom
www.amnesty.org

Index: MDE 23/031/2008
October 2008

हादी सईद अल-मुतीफ

1994 में सउदी अरब के नागरिक हादी सईद अल-मुतीफ को प्रकट रूप से ऐसी टिप्पणियां करने के लिए गिरफ्तार किया गया था जिन्हें कि इस्लाम और शरिया कानून के खिलाफ समझा गया। उसे 1997 में मौत की सजा सुनायी गयी। इसके दस वर्षों बाद जनवरी 2007 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को जानकारी मिली कि सउदी अरब के अधिकारी पूर्ण माफी पर विचार कर रहे हैं, इसके बाद जुलाई में इस तरह की आशाएं धूल-धूसरित हो गयीं क्योंकि यह साफ हो गया कि वह अभी भी मौत की सजा के अधीन है। आज, अपनी गिरफ्तारी के 14 वर्षों बाद और अस्पष्ट शब्दों वाले अपराध के लिए मौत की सजा पाने के 11 वर्षों बाद हादी सईद अल मुतीफ अभी भी अपनी नियति को लेकर अनिश्चित बना हुआ है। इस समय दक्षिणी सउदी अरब की सेंट्रल जेल में कैद मुतीफ को यह पता नहीं है कि उसे मृत्युदंड मिलेगा या नहीं।

© Private

हादी सईद अल-मुतीफ को 1997 में मौत की सजा सुनायी गयी

सिफारिशें

एमनेस्टी इंटरनेशनल सउदी अरब सरकार का आह्वान करता है कि वह :

- मौत की सजाओं को फौरन स्थगित किया जाये जैसा कि दिसंबर 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आह्वान किया गया था,
- बाल अधिकार पर सम्मेलन (सीआरसी) के अनुच्छेद 37 (ए) का अनुपालन करते हुए बच्चों के खिलाफ मौत की सजा का इस्तेमाल करने पर फौरन रोक लगायी जाये,
- ऐसे अपराधों की संख्या में क्रमश: कमी लायी जाए जिन्हें करने पर मौत की सजा होती है और मौत की सजा के कानूनों एवं परिपाटियों को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा कवचों के अनुरूप बनाया जाये ताकि उन लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके जो कि मौत की सजा का सामना कर रहे हैं (25 मई 1984 का संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद प्रस्ताव 1984/50)
- उन सभी कैदियों के मामलों की समीक्षा करना जो कि वर्तमान समय में मौत की सजा के अधीन हैं ताकि उनकी सजाओं को बदला जा सके।

AMNESTY INTERNATIONAL

एमनेस्टी इंटरनेशनल 150 से अधिक देशों और भूभागों में रहने वाले 22 लाख लोगों का वैश्विक आंदोलन है जो कि मानवाधिकारों को लेकर अभियान चलाते हैं।

हमारा भविष्य-स्वप्न यह है कि हर व्यक्ति को वे सभी अधिकार मिलें जो कि मानवाधिकारों की सार्विक घोषणा और मानवाधिकारों के दूसरे अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में वर्णित हैं। हम मानवाधिकारों के हनन को खत्म करने के लिए शोध, अभियान, हिमायत और लोगों को गोलबंद करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसी भी सरकार, राजनीतिक विचारधारा, धर्म के आर्थिक हित से स्वतंत्र है।

हमारा काम अधिकतर हमारे सदस्यों के चंदों और दान से वित्तपोषित होता है।

न्याय का अपमान

सउदी अरब में फांसी पर चढ़ाये जाने वाले लो कौन हैं?

AMNESTY INTERNATIONAL

पिछले दो वर्षों में सउदी अरब में मृत्युदंडों की दर तेजी से बढ़ी है। इस देश में 2007 में कम से कम 158 लोगों को मौत की सजा दी गयी जो कि 2006 से चार गुना अधिक है, और 2008 के पहले छह महीनों में कम से कम 66 लोगों को फांसी की सजा दी गयी। मौत की सजाएं अक्सर ज्यादातर गुप्त और मुकदमे की पूरी तरह से अनुचित कार्यवाही के आखिर में थोप दी जाती हैं जिसकी वजह से केवल सजा पाने वालों को ही नहीं वरन उनके परिवारवालों को भी भारी यातना झेलनी पड़ती है। मौत की सजा पाने वाले तमाम लोगों को – जिनमें से दर्जनों को मौत के घाट उतार दिया गया है – अहिंसक या अस्पष्ट शब्दों के अपराधों के लिए अभियुक्त बनाये जाने के बाद सजा सुना दी गयी है। आनन-फानन में उनके मुकदमे की कार्यवाही पूरी की जाती है और अक्सर उनका बचाव करने के लिए कोई वकील नहीं होता और न्याय के गलत होने के विरुद्ध लगभग कोई सुरक्षा नहीं होती। मौत की सजा पाने वालों का सिर कलम कर दिया जाता है और ऐसा अक्सर सार्वजनिक तौर पर किया जाता है।

गरीब प्रवासियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं

उनमें से आधे से अधिक लोग जिनके बारे में हमें पता है कि उन्हें पिछले 23 सालों में सउदी अरब में मृत्युदंड दिया गया है – कम से कम 830 लोग – विदेशी नागरिक, अधिकतर एशिया और अफ्रीका के गरीब और विकासशील देशों के प्रवासी मजदूर थे। इन सब को भी जिस समय मौत की सजा सुनायी गयी तो कोई कानूनी सहायता या बचाव का उपाय नहीं प्रदान किया गया और उनकी अपनी सरकारें भी उनकी तरफ से पर्याप्त मात्रा में हस्तक्षेप करने में विफल रहीं और यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उनके मुकदमे की कार्यवाही निष्पक्ष हो और वे दया की अपील कर सकें। सउदी अरब की फौजदारी न्याय प्रक्रिया की गोपनीय और सारांश प्रकृति के आगे विशेषकर गरीब देशों के प्रवासी मजदूर अरक्षित होते हैं और मौत की सजा पाये सउदी अरब के नागरिकों के मुकाबले उनके दंड से मुक्ति पाने की आशा काफी कम होती है। विदेश में बिल्कुल अलग पड़ गये जहां पर कोई भी सगा-सम्बंधी मदद के लिए आगे नहीं आने वाला होता, उनके मुकदमे अरबी में चलाये जाते हैं लेकिन अक्सर दुभाषिये की सहायता के बिना जिससे उन्हें कार्यवाहियों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। कुछ को तो यह भी पता नहीं होता कि उन्हें अपने मुकदमे के आखिर में मौत की सजा मिली है – कुछ मामलों में तो सचमुच, मरने के लिए अभिशप्त लोगों में से कुछ को अपनी मौत की सजा की जानकारी केवल उस सुबह मिलती है जब उन्हें मौत के घाट उतारा जाना होता है।

महिलाएं, विदेशी प्रवासी और सउदी अरब की नागरिक दोनों विशेष रूप से भेदभाव की यातना झेलने के लिए अभिशप्त होती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिकार्डों के अनुसार 1990 से अब तक कम से कम 40 महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इनमें से कम से कम 40 प्रतिशत को ऐसे मामलों में सजा सुनायी गयी जिसके कोई घातक परिणाम नहीं होते, 40 महिलाओं में बहुसंख्या विकासशील देशों के प्रवासी मजदूरों की थी। सउदी अरब समाज में सख्त लैंगिक पार्थक्य के बावजूद कानून के हत्थे जो महिलाएं चढ़ जाती हैं उन्हें इस बात का तनिक भी ख्याल रखे बिना पुरुषों द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, पूछताछ की जाती है और निर्णय सुनाया जाता है कि इससे उन्हें कितनी प्रताड़ना, उत्पीड़न और भय से दो-चार होना पड़ेगा।

हलीमा निस्सा का मामला गौरतलब है। वह श्रीलंका की महिला है और उसे नवंबर 2005 में गिरफ्तार किया गया था। प्रेस रिपोर्टों के अनुसार उसे जेद्दा की एक अदालत द्वारा उसके पति भारतीय नागरिक नौशाद निस्सा कादेर और श्रीलंका के नागरिक केएमएस भंडारनाइके के साथ मौत की सजा सुनायी गयी। उन्हें एक महिला के घर पर लूट के दौरान उसकी हत्या करने के अपराध में सजा सुनायी गयी। बताया जाता है कि उनका मुकदमा अपील के स्तर पर है पर इससे आगे कोई जानकारी नहीं है और बहुत संभव है कि उन्हें शीघ्र ही मौत के घाट उतार दिया जाये।

इस्सा बिन मुहम्मद उमर मुहम्मद

© Private

लूट और हमला करने के आरोपों में गिरफ्तार किये जाने और दोषी ठहराए जाने के बाद फरवरी 2008 में मदीना जनरल कोर्ट ने पांच युवाओं को मौत की सजा सुनायी। फैसले के अनुसार, उन्हें ऐसे अपराधों के लिए सजा सुनायी गयी जो कि शरिया कानून के तहत ''पृथ्वी पर भ्रष्टाचार'' के कृत्यों के बराबर हैं। अपने कथित अपराधों के समय पांच में से दो – सुल्तान बिन सुलायमान बिन मुस्लिम अल-मुवालाद, सउदी अरब का नागरिक और इस्सा बिन मुहम्मद उमर मुहम्मद, कनाडियाई नागरिक – की उम्र 18 वर्ष से कम थी, दोनों की उम्र 17 वर्ष की थी। दोनों को बाल अधिकार पर सम्मेलन (सीआरसी) के तहत सउदी अरब के दायित्वों के बावजूद मौत की सजा सुनायी गयी, जो कि अपराध के समय 18 वर्ष से कम उम्र वालों को मौत की सजा सुनाने से रोकता है।

इस्सा बिन मुहम्मद 'उमर मुहम्मद (*बाएं*) उस समय 17 वर्ष का था जब उसे मौत की सजा सुनायी यी।

सउदी अरब में फांसी पर लटकाये गये विदेशी लोग 1985-मई 2008

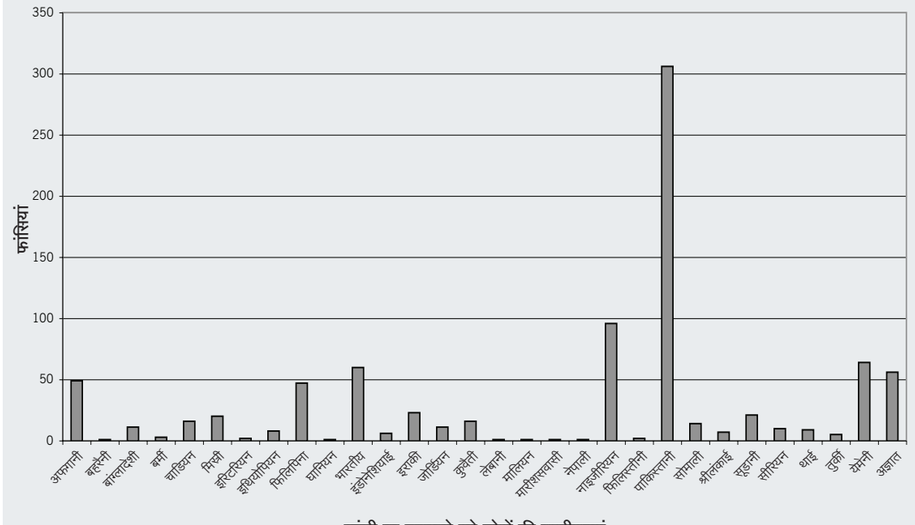

''मेरा बेटा ... गरीब, अनपढ़ है और उसे अरबी का कोई ज्ञान नहीं है और वह मुकदमे की कार्यवाहियों से अनजान था और उसके पास अपने बचाव और अदालत को अपने निर्दोष होने का यकीन दिलाने का कोई उपाय या ज्ञान नहीं था ... (वह) एक बड़े परिवार का इकलौता कमाऊ पूत है, जिसमें कि मैं जो कि बूढ़ी और बीमार हूं, उसकी पत्नी और उसकी चार वर्ष की बेटी है ... (हम) अपनी भरण-पोषण के लिए पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं।''

मादक द्रव्य से जुड़े अपराध पर मौत की सजा पाये कैदी की मां दयाशीलता के लिए सउदी अरब के किंग अब्दुल्ला को दयाशीलता के लिए अपील लिखते हुए, 2007

बच्चों को इससे बाहर नहीं रखा गया है

सउदी अरब के पास बच्चों को मौत की सजा सुनाने से रोकने के लिए रक्षा के स्पष्ट उपाय नहीं है। बच्चों के पास बच्चों के लिए बालिग होने की उम्र तय करने का अधिकार है और वह तय कर सकते हैं कि किस उम्र में अपराध की जिम्मेदारी डाली जा सकती है, और स्व-विवेक का अधिकार देने के इस स्तर के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

सुल्तान कोहाली को अपने भाई मोहम्मद, दोनों कनाडियाई नागरिक, तथा एक और व्यक्ति के साथ एक सीरियाई बच्चे की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो कि जनवरी 2007 में स्कूल के अहाते में हुए झगड़े में मर गया था। बड़े भाई 23 वर्षीय मोहम्मद कोहैल को कहा जाता है कि पूछताछ करने वालों ने लात-घूसों से पीटा और बाद में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे हत्या का दोषी करार दिया गया है और कुछ ही हफ्तों में उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। 17 वर्षीय सुल्तान पर मुकदमा किशोर के रूप में ऐसी अदालत में चलाया गया जिसका पास मौत की सजा सुनाने का कोई अधिकार नहीं था और उसे अप्रैल 2008 में कोड़े खाने और एक वर्ष की कैद की सजा दी गयी। लेकिन, चूंकि